ONLYIAS
BY PHYSICS WALLAH

प्रहार

MAINS WALLAH

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - 2025 पर अंतिम 'प्रहार'

भारतीय राजव्यवस्था और संविधान

(STATIC + CURRENT)

विशेषताएँ

- समग्र एवं संक्षिप्त नोट्स
- पारंपरिक टॉपिक्स का समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुतीकरण
- प्रामाणिक स्रोतों से अद्यतित आँकड़े एवं तथ्य और उदाहरण
- गुणवत्तापूर्ण उत्तर लेखन के लिए महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स
- विगत 12 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ समायोजित

निःशुल्क सृजन बैच एवं मेंटरशिप कॉल के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें

पढ़ें, जिसे पढ़ा टॉपर्स ने AIR-1 द्वारा अनुशंसित

विषय-सूची

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण अधिनियम 1
भारत की संविधान सभा 2
भारतीय संविधान की आलोचना 3
भारतीय संविधान में ब्रिटिश विरासत 3

2. भारत में संवैधानिक संशोधन

संविधान संशोधन की प्रक्रिया 4
संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता 4
संविधान संशोधन प्रक्रिया संबंधी मुद्दे और आलोचनाएँ 5
महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन 5
अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति की सीमाएँ 6

3. प्रस्तावना

प्रस्तावना के प्रमुख तत्त्व 7
प्रस्तावना का महत्त्व 8
प्रस्तावना में संशोधन 9
भारतीय, फ्रांसीसी और अमेरिकी पंथनिरपेक्षता के मध्य तुलना 9

4. मूल अधिकार

मूल अधिकारों का महत्त्व और विशेषताएँ 11
अनुच्छेद 12 11
अनुच्छेद 13 12
समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) 12
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) 14
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) 19
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) 20
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30) 21
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) 21
रिट 22
सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 33) 22
मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 34) 22
मूल अधिकारों के अपवाद 23
संपत्ति का अधिकार 23

5. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (भाग IV, अनुच्छेद 36-51)

नीति निदेशक तत्त्वों की प्रमुख विशेषताएँ 25
नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण 25
समान नागरिक संहिता: एकीकृत राष्ट्र की ओर एक कदम 26
नीति निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों के बीच संघर्ष 27

6. मूल कर्तव्य

अधिकार और कर्तव्य 28
अधिकारों और कर्तव्यों के समन्वय के लाभ, चुनौतियाँ और आलोचनाएँ 28
मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन करने वाले कानून 29

7. नागरिकता

भारत में नागरिकता का विकास 30
नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 30
दोहरी नागरिकता 31
भारत की विदेशी नागरिकता (ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया- OCI) 31
प्रमुख चर्चित मुद्दे 32

8. अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

पाँचवी अनुसूची 33
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 33
छठी अनुसूची 34

9. भारत की संघीय संरचना और शक्तियों का पृथक्करण

भारतीय संघवाद 36
संघवाद का भारतीय बनाम अमेरिकी मॉडल 37
भारत में असममित संघवाद 38
केंद्र-राज्य संबंध 39
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद 41
अंतर्राज्यीय जल विवादों के निपटान संबंधी चुनौतियाँ और उनका समाधान 41
छोटे राज्यों की माँग 42
प्रमुख चर्चित मुद्दे 43
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (संशोधन) अधिनियम, 2023 44
सर्वोच्च न्यायालय और संसद की शक्ति की जाँच (UPSC 2013) 44

10. शक्तियों का पृथक्करण और कार्यात्मक अतिच्छादन

संवैधानिक प्रावधान 46
शक्तियों के पृथक्करण के विभिन्न मॉडल 46
कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच अतिच्छादन तथा सुधार संबंधी उपाय 46
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय क्यों आवश्यक है? 48
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव 48
नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत 49

11. संसद और राज्य विधानमंडल

संसद के कार्य 50
भारतीय संसद के समक्ष आने वाली समस्याएँ 50
संसदीय सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव 51
संसदीय विशेषाधिकार 52
विपक्ष की भूमिका 53
राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी 54
दल-बदल विरोधी कानून 54
लोकसभा का पीठासीन अधिकारी : स्पीकर 56
संसदीय जाँच 58

12. भारत में न्यायिक व्यवस्था

भारत का उच्चतम न्यायालय 60
न्यायपालिका द्वारा निभाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ 61
मूल संरचना का सिद्धांत 62
न्यायपालिका का तुलनात्मक विश्लेषण: भारत, अमेरिका और ब्रिटेन 63
न्यायिक विलंब 65
न्यायिक नियुक्तियाँ 66
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) 67
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 68
न्यायाधीशों की अपदस्थता 68
न्यायिक जवाबदेही 69
न्यायालय की अवमानना 71
माल्गोनकर सिद्धांत 72
न्यायपालिका में महिलाएँ 72
फास्ट ट्रैक कोर्ट 73
उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय पीठें 74
नालसा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSC 2023) 75
भारत में न्यायिक अवसंरचना 76

13. विवाद निवारण तंत्र

वैकल्पिक विवाद निवारण 78
लोक अदालत 80
ग्राम न्यायालय 81
न्यायाधिकरण (भाग XIV-A; अनुच्छेद 323A, 323B) 82
न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम (2021) 84

14. स्थानीय स्वशासन

पंचायती राज व्यवस्था 85
पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी प्रयास 86
पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष उपस्थित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ 86
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका 88
नगरपालिकाएँ 89

15. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के कर्तव्य और शक्तियाँ 92

16. राष्ट्रीय अनु. जा. आयोग (NCSC)/राष्ट्रीय अनु. जन. आयोग (NCST)/ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (OBC)

सुभेद्य वर्गों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक निकायों की सीमाएँ 95
समाचार में मुद्दे 98

17. संघ और राज्य लोक सेवा आयोग

संघ और राज्य लोक सेवा आयोग 100
आयोग की स्वतंत्रता 100
कार्य और सीमाएँ 100

18. भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI)

परिचय 102
भारतीय चुनाव आयोग 102
पद की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता 102
अन्य मुद्दे 103
राजनीतिक दल और भारतीय चुनाव आयोग 104
एक साथ चुनाव - एक राष्ट्र, एक चुनाव 105
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और संबंधित मुद्दे 106
नोटा (NONE OF THE ABOVE: NOTA) 108
आदर्श आचार संहिता (MCC) 109
चुनावी वित्तपोषण 110
आंतरिक पार्टी लोकतंत्र 113
मुफ्तखोरी की राजनीति 113
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AI) और चुनाव 115

19. परिसीमन आयोग

संवैधानिक प्रावधान 117
परिसीमन आयोग 117

20. भारत के महान्यायवादी (AGI)

परिचय 119
महान्यायवादी के बारे में 119

21. राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग

परिचय 120

22. केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग

परिचय 123

23. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) से संबंधित प्रावधान 125

24. संघ कार्यकारिणी एवं राज्य कार्यकारिणी

परिचय 126
भारत का राष्ट्रपति 126
भारत के उपराष्ट्रपति 128
संवैधानिक प्रावधान 128
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव 129
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अर्हताएँ और निष्कासन 129
राज्य के राज्यपाल 130
राज्यपाल का कार्यकाल (अनुच्छेद 156) 130
अर्हताएँ (अनुच्छेद 157) 130
मनोनीत बनाम निर्वाचित राज्यपाल के संबंध में तर्क 130
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्तियाँ 130
राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद 361) 132
राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना 132
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 132
राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ 133
राज्यपाल से संबंधित मुद्दे 135
सरकारिया आयोग की सिफारिशें 135

25. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री
संवैधानिक प्रावधान 137
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य 137

26. मंत्रिपरिषद
मंत्रियों के दायित्व 139

27. भारत में कैबिनेट प्रणाली
मंत्रिमंडल की भूमिका 140
कैबिनेट समितियाँ 141

28. मंत्रालय
संवैधानिक प्रावधान 142
संसदीय सचिव 142

29. संसदीय समिति
परिचय 143
आगे की राह 144

30. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951)
राजनीतिक दलों का पंजीकरण 147
जानने का अधिकार (Right to know) 147
भ्रष्ट आचरण 148
चुनावी अपराध 148
पेड न्यूज़ 149

31. अन्य राष्ट्रों के साथ भारतीय संवैधानिक प्रणाली की तुलना
भारत और अमेरिका 151
भारत और ब्रिटेन 153
भारत और फ्रांस 154
चीन और भारत 154
भारत और जापान 155
भारत और दक्षिण अफ्रीका 156

4 मूल अधिकार

मूल (मौलिक) अधिकार भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12-35) में वर्णित हैं। ये भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले मूलभूत मानवाधिकार हैं, जो सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक हैं। ये सरकार की शक्तियों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार मनमाने ढंग से व्यक्तियों को इन अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ये अमेरिकी संविधान के "बिल ऑफ राइट्स" से प्रेरित हैं।

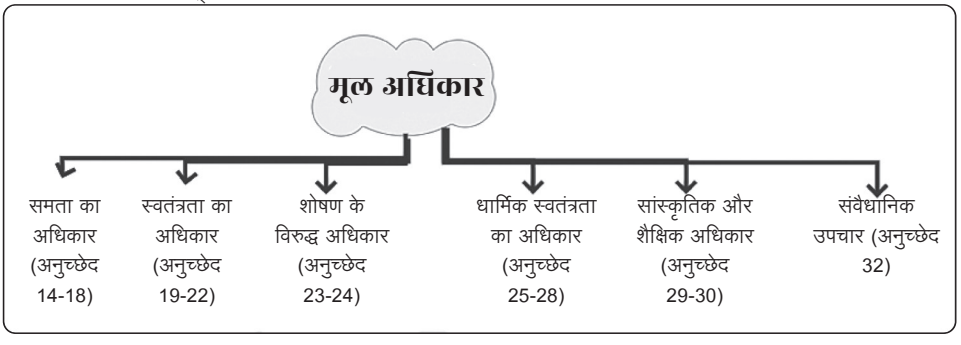

मूल अधिकारों का महत्त्व और विशेषताएँ

- **विवेकाधीन शक्तियों के विरुद्ध संरक्षण:** मूल अधिकार राज्य की अन्यायपूर्ण कार्रवाइयों के विरुद्ध एक सुरक्षा प्राचीर के रूप में कार्य करते हैं, तथा नागरिकों के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **न्यायोचित एवं प्रवर्तनीय:** मूल अधिकार कानूनी रूप से न्यायोचित एवं प्रवर्तनीय हैं, व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण और उपचार के लिए न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं।
- **अधिकारों और प्रतिबंधों का संतुलन:** यद्यपि पूर्ण नहीं, फिर भी सार्वजनिक हित में अधिकारों को यथोचित रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिससे स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन सुनिश्चित हो सके।
- **न्यायिक विस्तार:** मूल अधिकारों का दायरा विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुआ है, जैसे- अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार - जिससे उन्हें बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके।
- **आपातकाल और लचीलापन:** यद्यपि आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 जैसे प्रमुख अधिकार संरक्षित रहते हैं, जो संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाते हैं।

अनुच्छेद 12

- अनुच्छेद 12 संविधान के **भाग-III (मौलिक अधिकार)** के तहत **'राज्य' को परिभाषित करता है। इसमें शामिल हैं:**
  - केंद्र एवं राज्य सरकारें (कार्यकारी एवं विधायी);
  - स्थानीय प्राधिकरण (जैसे- नगरपालिका, पंचायत);
  - अन्य प्राधिकरण (सांविधिक निकाय और सरकार नियंत्रित संस्थान सहित)।
- **न्यायपालिका और अनुच्छेद 12:** न्यायपालिका को **न्यायिक क्षेत्राधिकार में कार्य करते समय इसके दायरे से बाहर रखा गया है**, लेकिन **प्रशासनिक कार्यों** (जैसे- भर्ती) के लिए इसे शामिल किया गया है, जिसे अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है।
- **बहिष्करण एवं न्यायिक व्याख्या: संयुक्त राष्ट्र** जैसे अंतरराष्ट्रीय निकाय इससे बाहर हैं तथा उन्हें अनुच्छेद226 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **हालिया निर्णय:** केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है, कि सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित न किए जाने वाले यूनिट-संचालित कैंटीन 'राज्य' की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।
  - इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज) ने स्पष्ट किया, कि निजी कंपनियाँ केवल सरकारी नियमों का पालन करने हेतु 'राज्य' की परिभाषा में शामिल नहीं हैं।

अनुच्छेद 13

- **अनुच्छेद 13:** अनुच्छेद 13 के अनुसार, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ अमान्य होंगी। यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा की नींव रखता है।
  - **न्यायिक समीक्षा की शक्ति:** सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। वे किसी भी कानून को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकते हैं, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
- **किसे चुनौती दी जा सकती है?:** "कानून/विधि" शब्द की व्याख्या व्यापक है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा संभावित रूप से शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है:
  - संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित स्थायी कानून।
  - राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून।
  - कार्यपालिका द्वारा द्वितीयक विधान (प्रत्यायोजित विधान), जिसमें आदेश, उपनियम, नियम, विनियम या अधिसूचनाएँ शामिल हैं।
  - कानून के गैर-विधायी स्रोत जैसे- विधिक प्रमुखता वाले स्थापित रीति-रिवाज या प्रथाएँ।
- **न्यायिक समीक्षा के अपवाद:** संवैधानिक संशोधनों को 'विधि' नहीं माना जाता है और उन्हें सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती।
  - **केशवानंद भारती वाद (1973)** के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया, कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन संविधान के "मूल ढाँचे" के भाग के रूप में मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निहित समता का अधिकार विधि के समक्ष समान व्यवहार की गारंटी देता है, धर्म, जाति या लिंग जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव को रोकता है, तथा सार्वजनिक स्थानों और सरकारी नौकरियों तक समान पहुँच सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता

अनुच्छेद14 के अनुसार राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

विधि के समक्ष समता	विधियों का समान संरक्षण
ब्रिटिश अवधारणा	अमेरिकी अवधारणा
कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं; विधि के समक्ष सभी समान हैं	समान परिस्थितियों में समान व्यवहार
सभी को एक ही विधि के अधीन रखता है	यह सुनिश्चित करता है, कि समान विधियाँ समान समूहों पर लगातार लागू हों
कोई भी कानून से ऊपर नहीं है	विधियों के भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है
उदाहरण: भ्रष्ट राजनेता और आम आदमी को एक ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।	**उदाहरण:** कर लाभ सभी योग्य छोटे व्यवसायों पर समान रूप से लागू होता है।

अनुच्छेद 14 के तहत अपवाद

- **उच्च पदों पर उन्मुक्ति:** अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को कानूनी कार्यवाहियों से कुछ उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके, कि वे बिना किसी अनुचित दबाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना।
- **संसदीय विशेषाधिकार:** संसद सदस्यों (एमपी) और राज्य विधान सभाओं को कुछ विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ (क्रमशः अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194) प्राप्त हैं, जिससे वे अपने विधायी उत्तरदायित्वों का बेहतर और स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर सकते हैं।

लैंगिक न्याय पर संवैधानिक दृष्टिकोण (UPSC 2023)

भारत में लैंगिक न्याय संविधान की समानता और गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है।

- **प्रस्तावना**: न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित समाज का निर्माण करना तथा सभी लिंगों के लिए समान अधिकारों का समर्थन करना।
- **मौलिक अधिकार:** अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 16
- **अनुच्छेद 51A(e):** महिलाओं के सम्मान को प्रोत्साहित करता है।
- **राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व [अनुच्छेद 39(a), अनुच्छेद 39(d), अनुच्छेद 42]:** रोज़गार, वेतन और कार्य स्थितियों में लैंगिक न्याय का समर्थन करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में** सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए।
- **एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्ज़ा मामले** में कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव को चुनौती दी गई, तथा गर्भावस्था के आधार पर बर्खास्तगी को असंवैधानिक करार दिया गया।

- **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में,** व्यभिचार के कानून को भेदभावपूर्ण बताते देते हुए खारिज कर दिया। ये लैंगिक न्याय के प्रति विकसित हो रही संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
- **पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (2013):** कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन से संबंधित।
- **वैवाहिक बलात्कार का निर्णय:** विवाहित और अविवाहित महिलाओं को गर्भपात का समान अधिकार दिया गया।
- **अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन (2008):** शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों जैसे कार्यस्थलों में महिलाओं की समानता सुनिश्चित की गई।

भारत में लैंगिक न्याय संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों द्वारा समर्थित है, जो विद्यमान कानूनी और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देता है।

अनुच्छेद 15: विभेद का निषेध

- **विभेद/भेदभाव का निषेध:** अनुच्छेद 15 राज्य (सरकार) को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- **सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं तक पहुँच:** यह सुनिश्चित करता है, कि नागरिक बिना किसी भेदभाव के दुकानों, रेस्तराँ, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट जैसे स्थानों तक पहुँच प्राप्त कर सकें।
- **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022):** इसने 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोज़गार में EWS के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता है|

अनुच्छेद 15 के तहत अपवाद

- **सकारात्मक कार्रवाई:** संविधान राज्य को सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) जैसे वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है (प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951)।
- **शिक्षा में आरक्षण:** राज्य पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के लिए उनकी शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए निजी संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) सहित शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आरक्षित कर सकता है (93वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2005)।
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)**: राज्य समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित विशेष प्रावधान कर सकता है (103वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019)।

अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

- **लोक नियोजन में अवसर की समता:** यह सरकारी नौकरियों और नियुक्तियों से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी देता है।
- **भेदभाव का निषेध:** किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरियों (लोक नियोजन) के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- **अपवाद:** अनुच्छेद में कुछ अपवादों की अनुमति दी गई है:
  - **आवासीय आवश्यकताएँ:** संसद ऐसे कानून बना सकती है, जिनके तहत नागरिकों को लोक नियोजन के लिए किसी राज्य में कुछ समय तक निवास करना अनिवार्य होगा।
  - **आरक्षण नीति:** सरकार सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों को आरक्षित कर सकती है।
  - **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण: वर्ष** 2019 में एक संशोधन के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

आरक्षण से संबंधित मामले

- **इंद्रा साहनी केस (1992):** आरक्षण को **50% तक सीमित कर दिया गया**। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए **क्रीमी लेयर की शुरुआत की गई** और **पदोन्नति में आरक्षण को अस्वीकार कर दिया गया।**
- **एम. नागराज केस (2006):** एससी/एसटी के लिए **पदोन्नति में आरक्षण** की अनुमति दी गई, किंतु **पिछड़ेपन**, **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व** और **प्रशासनिक दक्षता** के साक्ष्य अनिवार्य कर दिए गए।
- **जरनैल सिंह केस (2018)**: एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय में संशोधन किया। पदोन्नति में एससी/एसटी के लिए पिछड़ापन सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं; एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को बरकरार रखा।

जस्टिस **रोहिणी आयोग का** उद्देश्य 27% केंद्रीय आरक्षण के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए ओबीसी को उप-वर्गीकृत करना था। इसके अनुसार, कुछ प्रमुख ओबीसी समूह अधिकांश लाभ प्राप्त कर रहे थे, परिणामस्वरूप समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी को श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश की। रिपोर्ट जुलाई 2023 में प्रस्तुत की गई थी, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

- **महत्त्व:** अनुच्छेद16 योग्यता आधारित नियुक्तियों को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य लोक नियोजन में सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना है।
- **चुनौतियाँ:** प्रावधान के बाद भी नियोजन में जाति-आधारित भेदभाव जैसे मुद्दे बने हुए हैं:
  - आरक्षण नीति का दुरुपयोग, **उदाहरण:** आईएएस पूजा खेडकर मामला।
  - डोमिनो प्रभाव (Domino effect), **उदाहरण:** महाराष्ट्र में मराठाओं और जाटों द्वारा आरक्षण की माँग।
  - योग्यता आधारित नियुक्तियों को बाधित करता है, **उदाहरण:** भारत से प्रतिभा पलायन।

निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय आरक्षण की माँग

निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय आरक्षण की माँग का उद्देश्य स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना और बेरोज़गारी को कम करना है, किंतु यह योग्यता आधारित और संवैधानिक [अनुच्छेद 19(1)(g)] चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। **हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने** ऐसे कानून बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कौशल विकास और लचीली नीतियों के माध्यम से संतुलित दृष्टिकोण बेहतर समाधान प्रदान कर सकता है।

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत

- **अस्पृश्यता को गैर-कानूनी घोषित करता है:** अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के सभी रूपों को समाप्त करता है। यह जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, सेवाओं या नौकरियों तक पहुँच से वंचित करने पर रोक लगाता है।
- **विधिक प्रवर्तन:** नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध बनाता है|

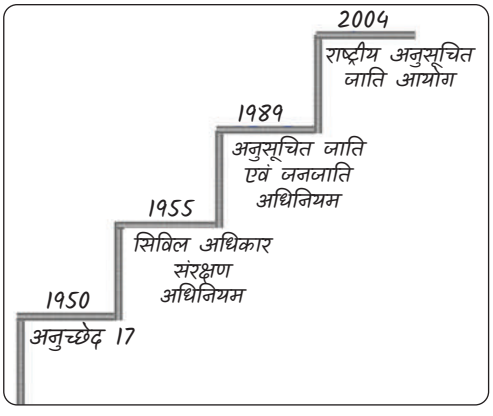

अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन

- राज्य को सैन्य और शैक्षणिक सम्मान (जैसे- पद्म पुरस्कार, परमवीर चक्र) के अलावा किसी भी उपाधि को प्रदान करने पर प्रतिबंध है। इसका उद्देश्य समानता और योग्यता पर आधारित समाज का निर्माण करना है।
- औपनिवेशिक राज्यों द्वारा प्रदान की गई वंशानुगत उपाधियों का उन्मूलन।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

अनुच्छेद 19: छह प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जो** एक कार्यशील लोकतंत्र हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
  - ये राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षित हैं तथा नागरिकों और कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन विदेशी व्यक्ति या कंपनी या निगम जैसे विधिक व्यक्तियों के लिए नहीं।
  - अनुच्छेद19 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता **निरपेक्ष नहीं है।** सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य चिंताओं के हित में **उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।**

हेट स्पीच और मूल अधिकार (UPSC 2014)

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19(1)(a)]:** सभी रूपों को शामिल करता है - मौखिक, लिखित, कलात्मक, डिजिटल अभिव्यक्ति।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद (2015) में आईटी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक करार देते हुए इसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन माना।
- **उचित प्रतिबंध [अनुच्छेद 19(2)]:** सार्वजनिक व्यवस्था, प्रबंधन या नैतिकता बनाए रखने के लिए अभिव्यति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- **BNS, 2023 प्रावधान:** धारा 194- समूहों के बीच प्रतिषेध को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है, तथा धारा 197- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले कृत्यों को दंडित करती है।
- **हेट स्पीच:** अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित नहीं है। अमिश देवगन बनाम भारत संघ वाद (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना, कि हिंसा/भेदभाव को बढ़ावा देने वाले हेट स्पीच या घृणास्पद भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्री स्पीच) से बाहर रखा गया है।
- **प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से हेट स्पीच के लिए विशेष कानून बनाने का आग्रह किया।
- **बेजबरुआ समिति (2014):** हेट स्पीच को रोकने के लिए कठोर कानूनों की सिफारिश की, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर समुदायों को के लिए प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

फिल्म या सिनेमा इससे पृथक क्यों है

- **सामूहिक प्रभाव:** सिनेमा जनमत के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है (उदाहरण के लिए, जाति आधारित मुद्दों पर आर्टिकल 15)।
- **उच्च संवेदनशीलता:** फ़िल्में धार्मिक/राजनीतिक भावनाओं को परिवर्तित या प्रभावित कर सकती हैं (उदाहरण के लिए, 'द विंची कोड' फिल्म पर लगा प्रतिबंध)।
- **अधिक प्रभाव:** दृश्य पाठ की तुलना में अधिक मज़बूत भावनाओं को उजागर करती हैं (उदाहरण के लिए, 'पद्मावत' फिल्म का विरोध)।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता:** कुछ फ़िल्मों को एकता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है (उदाहरण के लिए, 'कश्मीर: द स्टोरी' पर प्रतिबंध)।

अनुच्छेद 19(1) के तहत अधिकार

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: प्रतिशोध, सेंसरशिप या कानूनी मंजूरी के भय के बिना अपने विचार व्यक्त करने का मूल अधिकार।

- **राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1976) मामले** में **सूचना के अधिकार को** अनुच्छेद **19(1) के तहत मौलिक अधिकार** के रूप में मान्यता दी गई थी, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नागरिकों को सरकार के कार्यों के बारे में **जानने का अधिकार है।**
- **शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार:** शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन के माध्यम से सामान्य हितों को अभिव्यक्त करने, बढ़ावा देने, आगे बढ़ाने और बचाव करने का अधिकार।
- **संगम या संघ या बनाने का अधिकार (या सहकारी समितियाँ):** सामूहिक रूप से सामान्य हितों को अभिव्यक्त करने, बढ़ावा देने, आगे बढ़ाने और बचाव करने के लिए दूसरों के साथ जुड़ कर संगम या संघ बनाने का अधिकार।
- **भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार**: नागरिकों को भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से संचरण करने की अनुमति देता है - हालाँकि इस अधिकार को आम जनता या अनुसूचित जनजातियों के हितों के संदर्भ में प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- **भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार**: भारत के किसी भी भाग में निवास करने और रहने का अधिकार।

संचरण और निवास का अधिकार – अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 19(1)(e) (UPSC 2019)

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल किशोर मामले (1999) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना, कि अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(e) के तहत संचरण और निवास का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संचरण और निवास पर प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लगाए जा सकते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 19(5) के तहत अनुमति दी गई है।

अबाध संचरण का अधिकार: उचित प्रतिबंध

- **सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य:** कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन ने सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** AFSPA सुरक्षा के लिए संघर्ष क्षेत्रों में पहुँच को प्रतिबंधित करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** जनजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा के लिए सेंटिनलीज़ ज़ोन जैसे क्षेत्रों में पहुँच को प्रतिबंधित करता है।
- **दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा:** दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली आवाजाही को रोकता है।

निवास का अधिकार: उचित प्रतिबंध

- **अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा:** अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ILP प्रणाली आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करती है।
- **संपत्ति कानून:** हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य बाहरी लोगों के भूमि स्वामित्व को प्रतिबंधित करते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा:** क्षेत्रीय कानून आवासीय क्षेत्रों में खतरनाक कार्यों को बाधित करते हैं।
- **आर्थिक कल्याण:** सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए भूमि उपयोग को नियंत्रित करता है।

- **कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार:** कोई भी वैध पेशा अपनाने, या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।
  - **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले (2020)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार और व्यवसाय के अधिकार के प्रयोग के लिए इंटरनेट तक पहुँच आवश्यक है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया, कि इंटरनेट सेवाओं का निलंबन व्यापार की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है तथा ऐसे प्रतिबंध उचित, आवश्यक और आनुपातिक होने चाहिए।
- **अनुच्छेद 19(2)** राज्य को अनुच्छेद में उल्लिखित विषयों के आधार पर उपर्युक्त अधिकारों पर **'उचित प्रतिबंध' लगाने की अनुमति देता है।**

अनुच्छेद	प्रतिबंध
अनुच्छेद 19(1)(a) – वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	सार्वजनिक व्यवस्था, शांति या मानहानि जैसे कारणों से प्रतिबंधित किया जा सकता है (अनुच्छेद 19(2))।
अनुच्छेद 19(1)(b) – शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार	सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता या राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए कटौती की जा सकती है (अनुच्छेद 19(3))।
अनुच्छेद 19(1)(c) – संगम या संघ बनाने का अधिकार	राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है (अनुच्छेद 19(4))।
अनुच्छेद 19(1)(d) – सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता	राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के कारणों से इसे सीमित किया जा सकता है (अनुच्छेद 19(5))।
अनुच्छेद 19(1)(e) – कहीं भी निवास करने का अधिकार	सार्वजनिक हित या अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है (अनुच्छेद 19(5))।

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 मनमाने दंड और अनुचित सुनवाई के विरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।

- **पूर्वव्यापी दण्ड से सुरक्षा:** यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है, कि किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय अवैध नहीं था, जब उसने ऐसा किया था। अर्थात कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
- **दुहरे दंड से प्रतिबंध:** किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता।
- **कोई आत्म-दोष नहीं:** किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तियों को ऐसे साक्ष्य देने के लिए बाध्य होने से बचाता है जो उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं।

अनुच्छेद 20 इन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करके निष्पक्ष सुनवाई को सुनिश्चित करता है। यह नागरिकों को मनमाने ढंग से दोषी ठहराने या दंडित करने की सरकार की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। ये अधिकार कानूनी प्रणाली के भीतर निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करते हैं और व्यक्तियों को सत्ता के संभावित दुरुपयोग से बचाते हैं ।

अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को मूल अधिकारों की आधारशिला माना जाता है। यह सबसे बुनियादी मानव अधिकार की गारंटी देता है।
- यह इस बात का समर्थन करता है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा **किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।**
- यह मानवाधिकारों की एक विस्तृत शृंखला का आधार है, जिसमें गोपनीयता का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।

एक जीवंत दस्तावेज़ के रूप में अनुच्छेद 21 का विस्तार (UPSC 2023)

भारत का संविधान: एक जीवंत संविधान

- **लचीला संशोधन:** 101वें संविधान संशोधन ने आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर जीएसटी की शुरुआत की।
- **प्रस्तावना में संशोधन:** 42वें संशोधन (1976) ने पंथनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्यों को जोड़ा।
- **मूल अधिकारों का विस्तार:** मेनका गांधी मामले (1978) ने अनुच्छेद 21 को व्यापक बनाया।
- **न्यायिक समीक्षा:** केशवानंद भारती मामले (1973) ने मूल संरचना सिद्धांत को बरकरार रखा।
- **आपातकालीन सुरक्षा उपाय:** 44वें संविधान संशोधन (1978) ने दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा को मज़बूत किया।

प्रगतिशील समाज के लिए अनुकूलनशीलता

- **गोपनीयता का अधिकार:** के. एस. पुट्टस्वामी मामले (2017) में मान्यता प्राप्त।
- **नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार:** अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़ा गया।
- **समलैंगिकता का गैर-अपराधीकरण:** नवतेज जौहर मामला (2018)।
- **लैंगिक न्याय:** कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ विशाखा दिशा-निर्देश (1997)।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार

- **स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार:** एम. सी. मेहता मामला (1988)।
- **सूचना का अधिकार:** RTI अधिनियम (2005) ने पारदर्शिता को बढ़ाया।
- **सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार:** अरुणा शानबाग मामला (2011) ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी।
- **इंटरनेट का अधिकार:** अनुराधा भसीन मामले (2019) में मान्यता प्राप्त।

मनमानी कार्रवाई के खिलाफ मात्र सुरक्षा से, अब इसमें गोपनीयता, स्वास्थ्य, आश्रय और गरिमा जैसे अधिकार शामिल हैं। यह न्यायिक विस्तार संविधान की प्रगतिशील दृष्टि और समकालीन सामाजिक आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है, जो मानव स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका को मज़बूत करता है।

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण मामले

- **ए. के. गोपालन मामले (1950) में** 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या की गई तथा निर्णय दिया गया, कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल विवेकाधीन कार्यकारी कार्यों के विरुद्ध है, न कि विधायी कार्यों के विरुद्ध।
- **मेनका गांधी मामले (1978) में,** सर्वोच्च न्यायालय ने 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए इसमें विवेकाधीन विधायी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण को भी शामिल कर लिया, जो कि 'विधि की उचित प्रक्रिया' की अमेरिकी अवधारणा के समान है।
- **के. एस. पुट्टास्वामी निर्णय (2017)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। इसने समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने और व्यभिचार से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

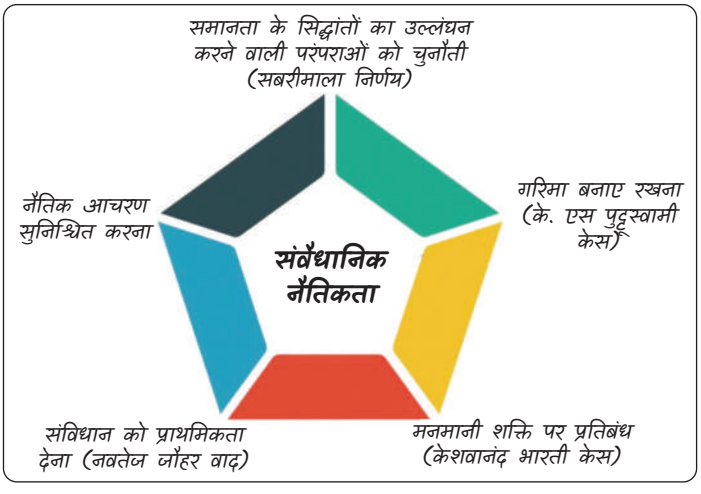

- **सुप्रियो चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ, 2023** मामले में, न्यायालय ने माना कि संविधान के तहत विवाह कोई मूल अधिकार नहीं है और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसे निर्णय संसद के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
- **अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ (2017) मामले** में, **स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार** अनुच्छेद **21 - जीवन के अधिकार** का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य संबंधी खतरों और प्रदूषण का हवाला देते हुए पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी कल्याण की रक्षा के लिए विधिक नियमों को मान्य करते हुए **सांस्कृतिक प्रथाओं को पर्यावरणीय अधिकारों** के साथ संतुलित करने पर बल दिया। **(UPSC 2015)**

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और दिवाली के पटाखे (UPSC 2015)

अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पटाखों के प्रदूषण को विनियमित करने तक विस्तृत है। सर्वोच्च न्यायालय ने त्योहारों की परंपराओं और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

- **अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ वाद (2017):** दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध।
- **सर्वोच्च न्यायालय दिशा-निर्देश (2018):** केवल ग्रीन पटाखे, सीमित समय, निर्दिष्ट क्षेत्र की अनुमति।
- **निर्देश (2020):** अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक।

पटाखों से इतर कानूनी विनियमन

- **पर्यावरण संरक्षण:** एम. सी. मेहता मामला (1987) - प्रदूषणकारी उद्योगों का स्थानांतरण।
- **प्रदूषण मुक्त जल और वायु:** सुभाष कुमार केस (1991) - स्वच्छ संसाधनों के अधिकार को बनाए रखा गया।
- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:** वेल्लोर नागरिक मंच (1996) - प्रदूषकों को वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराया गया।

संबंधित चिंताएँ

- **प्रवर्तन मुद्दे:** प्रतिबंध के बावजूद अवैध पटाखों की बिक्री।
- **सांस्कृतिक भावना:** कुछ लोगों का तर्क है, कि पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है और ग्रीन पटाखों का विनियमित उपयोग उचित होगा।
- **आर्थिक प्रभाव:** संबंधित उद्योग और श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई।

हालिया मुद्दे और उनका अनुच्छेद 21 से संबंध: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

प्रमुख घटनाएँ	अनुच्छेद 21 से संबंध	महत्त्व
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (सर्वोच्च न्यायालय, अप्रैल 2022)	सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना तथा इसे औद्योगिक विकास के साथ संतुलित किया।	यह पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सतत विकास के प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
भूल जाने का अधिकार (अगस्त 2024)	अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भूल जाने के अधिकार को गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा गया, जिससे डेटा संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।	यह दर्शाता है, कि डिजिटल अधिकार गोपनीयता का अभिन्न अंग है तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है।
डिस्कनेक्ट करने का अधिकार (दिसंबर 2024)	व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भाग के रूप में तैयार किया गया, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के लिए मानसिक स्वास्थ्य को आवश्यक माना गया।	मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के घटक के रूप में मान्यता देने की दिशा में परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया।
न्याय तक पहुँच का अधिकार (जनवरी 2025)	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि न्याय तक पहुँच निरपेक्ष या पूर्ण नहीं है, यह बुनियादी ढाँचे जैसी व्यावहारिक बाधाओं के अधीन है।	यह न्याय तक पहुँच और न्यायिक क्षमता की वास्तविकता के बीच तनाव को दर्शाता है तथा सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
निःशुल्क भोजन का अधिकार (अक्तूबर 2024)	जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में इस पर बल दिया गया तथा राज्य के महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी उत्तरदायित्व के रूप में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया।	यह जीवन के अधिकार के तहत, सम्मान और अस्तित्व के लिए आवश्यक भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।

निजता का अधिकार और प्रसवपूर्व डीएनए परीक्षण के कानूनी आयाम (UPSC 2024)

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (2017) मामले में माना, कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार निहित है।

अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार

- **अन्य अधिकारों से संबंधित:** वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25) का समर्थन करता है।
- **व्यक्तिगत स्वायत्तता:** व्यक्तिगत विकल्पों को हस्तक्षेप से बचाता है।
- **राज्य की शक्ति पर अंकुश:** मनमाने निगरानी को रोकता है; वैधता और आनुपातिकता की आवश्यकता।

- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** पुट्टास्वामी मामले (2017) ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
- **प्रजनन स्वायत्तता:** परिवार नियोजन निर्णयों की सुरक्षा करता है।

डीएनए परीक्षण और पितृत्व

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा- 112:** वैधता को मान्यता देता है, केवल आवश्यक होने पर डीएनए परीक्षण की अनुमति है।
- **गौतम कुंडू मामला (1993):** डीएनए परीक्षण का उपयोग संयम पूर्वक होना चाहिए।
- **डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक, 2019:** डीएनए के उपयोग को नियंत्रित करता है, निजता और कानूनी आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाता है।
- **संवैधानिक सुरक्षा:** डीएनए परीक्षण को अनुच्छेद 21 के तहत निजता का सम्मान करना चाहिए।
- **सहमति की आवश्यकता:** डीएनए परीक्षण से पूर्व सूचित सहमति अनिवार्य है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**
  - **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010)** में कहा गया, कि अनिवार्य डीएनए परीक्षण निजता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जब तक कि यह कानून द्वारा अधिकृत एवं व्यापक सार्वजनिक हित में उचित न हो।
  - **दीपांविता रॉय बनाम रोनोब्रोतो रॉय (2015)** में, न्यायालय ने केवल महिला की सहमति से डीएनए परीक्षण की अनुमति दी, जिससे उसकी गरिमा और गोपनीयता की रक्षा हुई।

निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के आलोक में मूल अधिकारों का दायरा (UPSC 2017)

मूल अधिकारों का विस्तृत दायरा

- **डेटा सुरक्षा- एक अधिकार के रूप में:** गोपनीयता कानूनों का आधार, उदाहरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023)।
- **राज्य निगरानी पर सीमा:** उचित प्रक्रिया अनिवार्य, उदाहरण: इंटरनेट स्वतंत्रता पर अनुराधा भसीन मामला (2020)।
- **सामाजिक-आर्थिक अधिकार:** निजता स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण में गरिमा सुनिश्चित करती है। उदाहरण: एमटीपी (संशोधन) अधिनियम, 2021 जो सुरक्षित गर्भपात सक्षम करता है।
- **न्यायिक सुरक्षा उपाय:** कानूनों को आवश्यकता, वैधता, आनुपातिकता मानदंडों के आधार पर होना चाहिए। उदाहरण: ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम (2019) का प्रभाव।
- **विस्तृत अनुच्छेद 21:** निजता को मानवीय गरिमा से जोड़ा गया, उदाहरण: निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर कॉमन कॉज़ मामला (2018)।

संबंधित चिंताएँ

- **राज्य निगरानी:** सुरक्षा बनाम गोपनीयता में संतुलन आवश्यक।
- **निजी क्षेत्र का अनुपालन:** प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग का जोखिम, उदाहरण: व्हाट्सएप–फेसबुक डेटा चिंता।
- **न्यायिक विसंगति:** समान रूप से नियम लागू करना एक चुनौती।
- **जन जागरूकता:** नागरिकों में गोपनीयता साक्षरता में कमी।

क्या आप जानते हैं?

बिलकिस बानो मामले ने स्वतंत्रता के अधिकार और विधि के शासन के बीच टकराव को उजागर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया, कि स्वतंत्रता का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जिससे न्याय कमजोर हो और दोषियों की माफी को दरकिनार किया जा सके, इस सिद्धांत को कायम रखते हुए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह मामला एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है, कि व्यक्तिगत अधिकारों को संवैधानिक नैतिकता और उचित प्रक्रिया के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 21क: शिक्षा का अधिकार

शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए एक मूलभूत आधार है। इस महत्त्व को पहचानते हुए, भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया (86वाँ संविधान संशोधन), जिसके तहत अनुच्छेद 21A को मूल अधिकारों के भाग के रूप में शामिल किया गया।

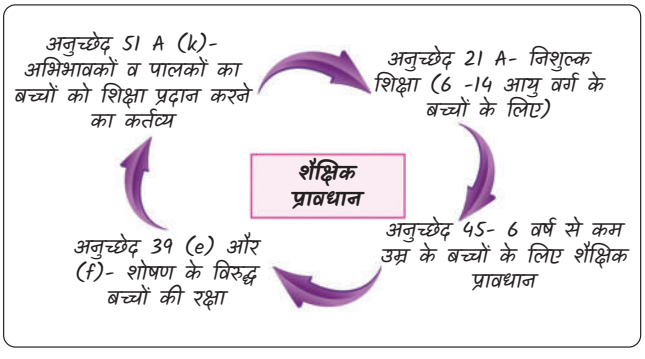

अनुच्छेद 21A के मुख्य बिंदु

- **निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा:** राज्य (सरकार) का दायित्व है, कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे।

- **कार्यान्वयन का तरीका:** यद्यपि इसका उत्तरदायित्व राज्य पर है, लेकिन यह अनुच्छेद उन्हें यह अधिकार प्रदान करने का विशिष्ट तरीका निर्धारित करने की अनुमति देता है, प्रायः कानून के माध्यम से।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार:** यद्यपि अनुच्छेद 21A में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम), 2009 जैसे बाद के कानून गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देते हैं।
- **प्रभाव:** इस अनुच्छेद के कारण भारत में स्कूल नामांकन दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा मिला है।
- **हालिया अद्यतन:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु सीमा को 3-18 वर्ष तक बढ़ा दिया है, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की आवश्यकता को संबोधित किया गया और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा के प्रावधान का विस्तार किया गया।

अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी और निरोध (हिरासत) के खिलाफ़ एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह गिरफ़्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है, जिससे उसे अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से सुरक्षा मिलती है।

- **साधारण विधिक शर्तें:**
  - **बिना सूचना के हिरासत से संरक्षण:** किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही हिरासत में रखा जा सकता है।
  - **कानूनी परामर्श का अधिकार:** गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने और बचाव का अधिकार है।
  - **मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुतीकरण:** गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए (यात्रा के समय को छोड़कर)।
  - **मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत न किए जाने तक 24 घंटे के बाद रिहा किए जाने का अधिकार:** यह मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के विरुद्ध संरक्षण जारी रखता है।
- **निवारक निरोध की शर्तें:**
  - **सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के बिना किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता:** यह पर्याप्त औचित्य के बिना लंबे समय तक हिरासत में रखने से रोकता है।
  - **हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए: इससे** पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी हिरासत के आधारों पर सुरक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

स्मरणीय तथ्य

- **निवारक निरोध:** सितंबर 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की, कि अनुच्छेद 22(5) के तहत, किसी बंदी को न केवल निरोध के आधार बल्कि उन सभी दस्तावेजों के बारे में भी तुरंत जानकारी दी जानी चाहिए, जिन पर वह निर्भर करता है।
  - इन्हें प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की देरी या इनकार, बंदी के प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के संवैधानिक अधिकार में बाधा डालता है।
  - यह पुनः पुष्टि न्यायपालिका द्वारा **प्रक्रियागत निष्पक्षता और मनमाने ढंग से व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने पर रोक लगाती है तथा** इस बात पर बल देती है, कि निवारक हिरासत में भी संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 एक मूल अधिकार है, जो व्यक्तियों को शोषण के दो प्रमुख रूपों से सुरक्षा प्रदान करता है: मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम।

- **निषेध:** अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है:
  - **मानव दुर्व्यापार:** व्यक्तियों को वस्तु के समान खरीदना और बेचना।
  - **बेगार:** अवैतनिक श्रम, जो प्रायः ऋण चुकाने के लिए बंधुआ मज़दूरी जैसी ऐतिहासिक प्रथाओं से जुड़ा है।
  - **बलात श्रम के अन्य समान रूप:** कोई भी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, धमकी देकर या किसी अन्य कारण वश कार्य करने हेतु बाध्य किया जाता है।
- **अपराध और सजा:** इस अनुच्छेद का उल्लंघन दंडनीय अपराध है, जिससे पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाती है।
- **राज्य की शक्ति:** यह अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों (जैसे- कुछ देशों में राष्ट्रीय सेवा) के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकता है। हालाँकि, ऐसी सेवा धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है।
- **पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ वाद, 1982:** बलात श्रम के विरुद्ध अधिकार को मज़बूत करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें कहा गया कि आर्थिक मज़बूरी जो किसी व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ती है और उसे श्रम या सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य करती है, वह भी बलात श्रम की श्रेणी में आती है।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

अनुच्छेद 24 विशेष रूप से बालकों को खतरनाक कार्यों को करने से सुरक्षा प्रदान करता है।

- **बाल श्रम का प्रतिषेध:** यह अधिनियम कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है।
- **सभी कार्यों पर प्रतिबंध नहीं:** यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है, कि अनुच्छेद 24 बालकों को सभी प्रकार के कार्यों को करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। गैर-खतरनाक या उम्र के आधार पर उचित कार्य करने की अनुमति हो सकती है।
- **पूरक कानून:** इस प्रावधान को लागू करने के लिए संसद द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, जैसे- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 आदि।

अनुच्छेद 24 शोषण मुक्त बाल्यावस्था सुनिश्चित करने और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह बच्चों को सुरक्षित वातावरण में अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने का अधिकार देता है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। यह भारत के विविध समाज में धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है।
- **धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों** को मूर्त रूप देते हुए, ये अधिकार व्यक्तियों और समुदायों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन, भेदभाव के बिना अपने धर्म का अनुपालन करने की अनुमति देते हैं।

अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है, जो सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

- **स्वतंत्रता की गारंटी:** इसमें मुख्यतः चार प्रकार की स्वतंत्रता निहित है- अंतःकरण की, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की।
- **सभी के लिए समान:** ये स्वतंत्रता भारत में सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो।
- **उचित प्रतिबंध:** यह स्वतंत्रता "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" तथा संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है। यह सरकार को सामाजिक सद्भाव और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है।
- **राज्य और धर्म:** राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता या धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।
- **महत्त्व:** अनुच्छेद 25 भारत में धार्मिक सहिष्णुता, बहुलवाद और विविध धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है।

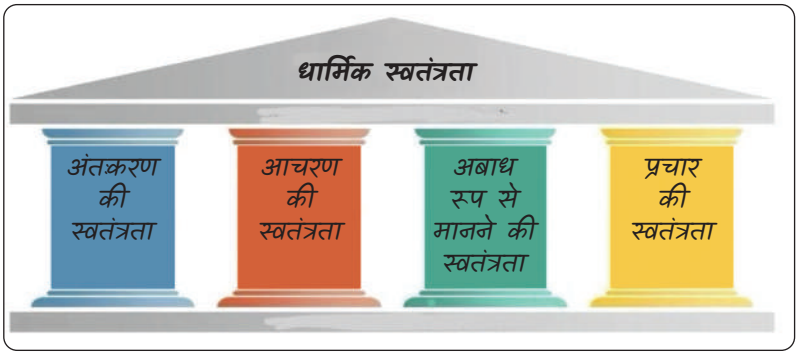

अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

- **प्रदत्त अधिकार:** यह अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने, उसे अर्जित करने तथा कानून के अनुसार उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 25 से भिन्न:** अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के बीच उल्लेखनीय अंतर है: जहाँ अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की को सुनिश्चित करता है।
- **निरपेक्ष नहीं:** ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए, गतिविधियों को विनियमित कर सकता है, कि इनसे समझौता न हो।
- **महत्त्व:**
  - धार्मिक संप्रदायों को उनके आंतरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से बचाता है।
  - धार्मिक समूहों को अपनी संस्थाओं, वित्त और प्रथाओं का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
- **उदाहरण:** यह अधिकार मंदिरों को पुजारी/पुरोहित नियुक्त करने, चर्च को धार्मिक सेवाएँ संचालित करने तथा धार्मिक ट्रस्टों को अपनी संपत्तियों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

- **प्रदत्त अधिकार:** अनुच्छेद 27 किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य करने से रोकता है।
- **कोई पक्षपात नहीं:** यह प्रावधान सुनिश्चित करता है, कि राज्य किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता या संरक्षण न दे, जिससे उसका पंथनिरपेक्ष स्वरूप बना रहे।
  - **उदाहरण:** सरकार द्वारा हिन्दू धार्मिक मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष रूप से कर लगाने का प्रस्ताव, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होगा क्योंकि यह एक विशेष धर्म को लक्षित करता है।

अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

- **प्रदत्त अधिकार:** राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
- **अपवाद:** इस अनुच्छेद की कोई भी बात, ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।
- यह अनुच्छेद धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त शिक्षा के अधिकार की रक्षा करता है, जबकि कुछ संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए पूर्ण पारदर्शिता और चयन की स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की अनुमति देता है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता की सराहना करते हुए संविधान अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की भी रक्षा करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समूह अलग-थलग या हाशिए पर व्याप्त न रहे।

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 देश की समृद्ध विविधता के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की विविध अनूठी भाषाएँ, लिपियाँ और परंपराएँ सुरक्षित रह सकें।

- **संस्कृति के संरक्षण का अधिकार:**
  - किसी भी नागरिक समूह को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने तथा उसे बढ़ावा देने का अधिकार है।
  - इससे अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी विरासत और रीति-रिवाजों को बनाए रखने का अधिकार मिलता है।
- **भेदभाव रहित शिक्षा:**
  - किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
  - इससे पृष्ठभूमि की चिंता किए बिना शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलता है ।
  - अनुच्छेद 29 विविधता का सम्मान करते हुए और अल्पसंख्यक समूहों के लिए सांस्कृतिक सुरक्षा की गारंटी देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।

अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है।

- **स्थापना और प्रशासन:** धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार है।
- **मातृभाषा में शिक्षा:** यह अधिकार उनके बच्चों को उनकी अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करने तक विस्तारित है।
- **गुणवत्ता के लिए विनियमन:** यह अधिकार अप्रतिबंधित नहीं है। सरकार इन संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता और अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विनियमन लागू कर सकती है।
- **वित्तपोषण में भेदभाव न करना:** राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यक-संचालित शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध भेदभाव नहीं कर सकता।
- **संपत्ति का उचित अधिग्रहण:** अनुच्छेद 30(1A) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करते समय उचित मुआवजे को सुनिश्चित करता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU)- अल्पसंख्यक स्थिति और संवैधानिक व्याख्या

- नवंबर 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30 के तहत AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार किया और अंतिम निर्णय संवैधानिक पीठ पर छोड़ दिया।
- न्यायालय ने समुदाय द्वारा "स्थापित" शब्द की व्यापक व्याख्या का सुझाव दिया, जो अल्पसंख्यक अधिकारों और राज्य की भागीदारी के बीच संतुलन के बारे में चिंता उत्पन्न करता है।
  - अनुच्छेद 30(1) में "स्थापित" (Established) शब्द को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए, केवल वैधानिक भाषा पर निर्भर रहने की बजाय संस्था के वास्तविक रचनाकारों और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- यह निर्णय एएमयू को अपना अल्पसंख्यक चरित्र बरकरार रखने की अनुमति दे सकता है तथा संभावित रूप से इसके प्रशासन और प्रवेश नीतियों को प्रभावित कर सकता है।
- इससे शासन में अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा, जिससे मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रवेश में मुस्लिम विद्यार्थियों को दिए जाने वाले आरक्षण या वरीयता की सीमा पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
- यह मामला संस्थागत स्वायत्तता और संवैधानिक गारंटी के बीच तनाव को उजागर करता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 32 भारत के मौलिक अधिकारों की आधारशिला है, जो इन अधिकारों के न्यायिक प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए संविधान की "आत्मा और हृदय" कहा। यह व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, जिससे यह लोकतंत्र और न्याय के लिए एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन जाता है।

- **व्यक्तियों को सशक्त बनाना:** यह प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, कि यदि उन्हें लगता है कि सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो वे सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं।
- **मूल अधिकारों का प्रवर्तन:** ये सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, कि मूल अधिकार केवल लिखित शब्द न हों, बल्कि प्रवर्तनीय कानूनी गारंटी हों।
- **प्रवर्तन हेतु रिट:** सर्वोच्च न्यायालय के पास उल्लंघन की सुनवाई के लिए पाँच प्रकार की रिट - बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा - जारी करने की शक्ति है।
- **संसदीय शक्ति:** संसद अन्य न्यायालयों (जैसे- उच्च न्यायालय) को अनुच्छेद 226 के तहत समान रिट जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है। हालाँकि, रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति सर्वोच्च है।
- **महत्त्व:**
  - **विधि के शासन को मजबूत करना:** यह सुनिश्चित करता है, कि सरकार मौलिक अधिकारों का सम्मान करे और अपनी विधिक सीमाओं के भीतर कार्य करे।

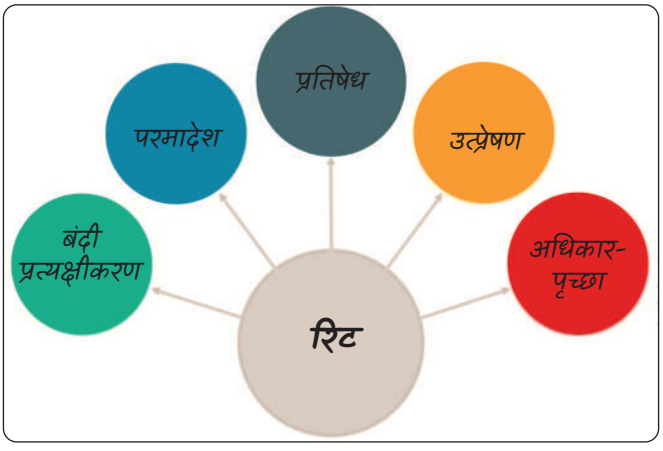

  - **विधिक समर्थन प्रदान करता है:** यह व्यक्तियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और न्याय प्राप्ति के लिए सशक्त बनाता है।
  - **कमजोर नागरिकों की सुरक्षा:** यह राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

रिट

मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मौलिक है, लेकिन अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती है।

रिट के प्रकार	विवरण	महत्त्व
बंदी प्रत्यक्षीकरण	हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत की वैधता की जाँच करने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश। यह आदेश सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।	मूल अधिकारों का संरक्षण: मूल अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती देने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है।
परमादेश	किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया गया आदेश, जिसे उपेक्षित या अस्वीकार किया गया हो। सार्वजनिक निकायों, निगमों या न्यायाधिकरणों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।	न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, कि सरकार और प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई विधिसम्मत है।
प्रतिषेध	अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने या उसका अतिक्रमण करने से रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया गया।	शीघ्र एवं प्रभावी उपचार: लम्बी प्रक्रियाओं की तुलना में शीघ्र एवं प्रभावी उपचार प्रदान करता है।
उत्प्रेषण	किसी मामले को स्थानांतरित करने या अधिकार क्षेत्र या कानून की त्रुटि के कारण किसी आदेश को रद्द करने के लिए निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है।	जवाबदेही सुनिश्चित करना: प्राधिकारियों को उनके कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाए रखना तथा मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग को रोकना।
अधिकार-पृच्छा	किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय पर दावे की वैधता की जाँच करने तथा कार्यालय पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए जारी किया गया।	विधि का शासन बनाए रखना: यह सुनिश्चित करना कि सरकार सहित सभी लोग कानूनी मापदंडों के भीतर कार्य करना।

सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 33)

- **उद्देश्य:** यह संसद को सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों और संभावित रूप से खुफिया एजेंसियों (हालाँकि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है) के सदस्यों के कुछ मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
- **औचित्य:** इन प्रतिबंधों का उद्देश्य कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना तथा इन बलों में अनुशासन बनाए रखना है।
- **संभावित रूप से प्रभावित होने वाले अधिकार:** हालाँकि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन स्थिति के आधार पर अनुच्छेद 33 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। हालाँकि, यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है और अगर प्रतिबंध अत्यधिक माने जाते हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है।
  - **उदाहरण:** परिचालन गोपनीयता बनाए रखने या अवज्ञा को रोकने के लिए सैनिकों के लिए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 34)

- **मार्शल लॉ:** यह अनुच्छेद तब लागू होता है, जब भारत के किसी भी हिस्से में मार्शल लॉ लागू किया जाता है। मार्शल लॉ एक ऐसी स्थिति है, जहाँ सेना व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक प्राधिकरण पर नियंत्रण कर लेती है।

- **अधिकारों पर प्रतिबंध:** मार्शल लॉ के दौरान, संसद ऐसे कानून पारित कर सकती है, जो संविधान के भाग- III द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं।
- **कार्यों के लिए संरक्षण:** यह अनुच्छेद संसद को सरकारी अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति (विधिक कार्रवाई से संरक्षण) देने की अनुमति देता है, जो मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान "व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में" कार्रवाई करता है।
- **महत्त्व:** अनुच्छेद 34 राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है। कुछ स्थितियों में, व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं।
  - अनुशासन और अपने कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है ।
  - ऐसी स्थितियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने वाले सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
  - ये अनुच्छेद राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के व्यापक हित के लिए कुछ अधिकारों को अस्थायी रूप से सीमित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

मूल अधिकारों के अपवाद

- **अनुच्छेद 31A:** यह अनुच्छेद कृषि भूमि सुधार और उद्योग/वाणिज्य से संबंधित कानूनों की पाँच श्रेणियों को समानता (अनुच्छेद 14) और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण चुनौती दिए जाने से सुरक्षित करता है।
- **अनुच्छेद 31B:** नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों और विनियमों को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आधारित चुनौतियों से बचाया गया है।
  - **आई. आर. कोएलो मामले, 2007** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने स्पष्ट किया, कि यह सुरक्षा निरपेक्ष नहीं है। **24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों को** चुनौती दी जा सकती है, अगर वे मौलिक अधिकारों या मुख्य संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
- **अनुच्छेद 31C (25वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल):** इस अनुच्छेद का उद्देश्य था:
  - समाजवादी नीति निदेशक सिद्धांतों [अनुच्छेद 39(b) और अनुच्छेद 39(c)] को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 (समानता) और 19 (स्वतंत्रता) पर आधारित चुनौतियों से सुरक्षित किया जाए।
  - न्यायालय को यह प्रश्न करने से रोकें, कि क्या समाजवादी नीतियों को लागू करने का दावा करने वाला कानून वास्तव में उस लक्ष्य को प्राप्त करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) ने अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक मूलभूत पहलू है और संसद इसे समाप्त नहीं कर सकती। हालाँकि, समाजवादी नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 31C के पहले प्रावधान को बरकरार रखा गया था।

संपत्ति का अधिकार

44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 ने भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति को महत्त्वपूर्ण रूप से परिवर्तित किया।

- **मूल अधिकार से विधिक अधिकार तक:** संशोधन से पूर्व, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। इसका तात्पर्य था, कि इसे उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त था और किसी भी सरकारी अधिग्रहण के लिए कठोर प्रक्रियाओं तथा उचित मुआवजे की आवश्यकता थी। संशोधन ने इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया।
- **भूमि अधिग्रहण में आसानी:** सरकार के पास अब सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में अधिक लचीलापन है। इससे अवसंरचनात्मक विकास और सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाओं में तेजी आ सकती है।
- **न्यायिक जाँच:** हालाँकि यह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 300A अभी भी संपत्ति प्राप्त करते समय "उचित प्रक्रिया" और निष्पक्ष व्यवहार का पालन करने का आदेश देता है। यदि इन सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा, न्यायालय अभी भी अनुच्छेद 300A के तहत "निष्पक्ष" व्यवहार की व्याख्या उचित मुआवजे को शामिल करने के लिए कर सकता है ।
- **मुआवजे का अधिकार:** इसमें मुआवजे के अधिकार की गारंटी दी गई है-
  - जब राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति अर्जित करता है (अनुच्छेद 30)।
  - जब राज्य किसी व्यक्ति की निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण करता है और वह भूमि वैधानिक अधिकतम सीमा (अनुच्छेद 31A) के भीतर है।

सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को बरकरार रखा

- जनवरी 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के संवैधानिक संरक्षण को बरकरार रखा तथा इस बात पर प्रकाश डाला, कि कानूनी प्रावधान के अलावा किसी भी तरीके से व्यक्तियों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
  - न्यायालय का यह निर्णय भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे में देरी के कारण दिया गया, जिसमें समय पर और न्यायोचित मुआवजे की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
  - यह निर्णय संपत्ति के मामले में उचित प्रक्रिया के महत्त्व को रेखांकित करता है। यह इस बात की पुष्टि करता है, कि भारत में विधि के शासन को बनाए रखने के लिए संपत्ति के अधिकार आवश्यक हैं।

भारत में संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- **केशवानंद भारती वाद (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना, कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए संसद सार्वजनिक हित में व्यक्तियों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।
- **44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978:** इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A के तहत शामिल किया।
- **अनुच्छेद 31C: नीति निदेशक तत्त्वों को लागू करने वाले कानूनों का संरक्षण**
  - अनुच्छेद 31C के तहत, अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
  - **केशवानंद भारती मामले (1973) में** न्यायालय ने अनुच्छेद 31C की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट किया कि ऐसे कानून अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
- **मुआवजे पर सर्वोच्च न्यायालय:** राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन उसे उचित मुआवजा देना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण शब्दावली

बहुमत का शासन, ऑनलाइन गोपनीयता, रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा, प्रतिषेध, मार्शल लॉ, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक अधिकार, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजद्रोह, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, निजता का अधिकार।

	विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	वर्ष
1.	निजता का अधिकार प्राण और दैहिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आतंरिक भाग के रूप में और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में, गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित कानून पर चर्चा करना।	2024
2.	भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवंत यन्त्र है। यह एक प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया संविधान है।" जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।।	2023
3.	प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए।	2023
4.	"भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन और निवास का अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन ये अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं।" टिप्पणी कीजिए।	2019
5.	निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परीक्षण कीजिए।	2017
6.	क्या पर्यावरण को स्वच्छ रखने के अधिकार के अंतर्गत दिवाली के दौरान पटाखे जलाने पर कानूनी विनियमन शामिल है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा करना।	2015
7.	आप "वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" की संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? चर्चा कीजिए।।	2014
8.	संविधान के अनुच्छेद 19 के कथित उल्लंघन के संदर्भ में आईटी अधिनियम की धारा- 66A पर चर्चा कीजिए।	2013

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

प्रहार

MAINS WALLAH

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - 2025 पर अंतिम 'प्रहार'

अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास

(STATIC + CURRENT)

विशेषताएँ

- समग्र एवं संक्षिप्त नोट्स
- पारंपरिक टॉपिक्स का समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुतीकरण
- प्रामाणिक स्रोतों से अद्यतित आँकड़े एवं तथ्य और उदाहरण
- गुणवत्तापूर्ण उत्तर लेखन के लिए महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स
- विगत 12 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ समायोजित

निःशुल्क सृजन बैच एवं मेंटरशिप कॉल के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें

पढ़ें, जिसे पढ़ा टॉपर्स ने AIR-1 द्वारा अनुशंसित

विषय सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था- अतीत, वर्तमान और भविष्य

आर्थिक विकास 1
भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास-क्रम 1
भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ 3
वैश्विक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था 4
वी-आकार का आर्थिक सुधार (UPSC 2021) 4
भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण 5

2. संवृद्धि और विकास

आर्थिक संवृद्धि (वृद्धि) बनाम आर्थिक विकास 7
वृद्धि एवं विकास के मुख्य आयाम 7
आर्थिक वृद्धि एवं विकास का मापन और संकेतक 8
भारत की संभावित वृद्धि/जीडीपी (UPSC 2017 और 2020) 10
जीडीपी गणना के विकल्प 11
समावेशी विकास 12
सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय का प्रतिरूप और दृष्टिकोण (UPSC 2024) 13
सभी पीढ़ियों में समानता: समावेशी और सतत विकास का एक स्तंभ 14
भारत की क्षेत्रीय आय असमानताएँ 15
पर्यावरण और विकास संबंध 16
न्यूनतम मजदूरी तथा जीवन निर्वाह मजदूरी प्रणाली 17

3. आर्थिक नियोजन

आर्थिक नियोजन क्या है? 19
नीति आयोग 19
दृष्टि, रणनीति और कार्रवाई 19

4. सरकारी बजट

परिचय 21
सरकारी बजट की आवश्यकता 21
बजट के घटक 21
बजट के प्रकार 22
बजटीय घाटे का सामान्य विश्लेषण 24
सरकारी घाटा 22
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 25
सरकारी ऋण 26
राज्य वित्त पर आरबीआई रिपोर्ट 2024–25 27

5. कराधान

परिचय 28
घटना के आधार पर करों का वर्गीकरण 28
प्रत्यक्ष कराधान 29
अप्रत्यक्ष कराधान 30
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 31
आभासी परिसंपत्तियों पर कराधान 32
वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर 33
दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) 34
आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) और ओईसीडी फ्रेमवर्क 35

6. मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण, भारत में बैंकिंग, बीमा और वित्त

मौद्रिक नीति 37
भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 39
खाद्य मुद्रास्फीति 40
मुद्रास्फीति सूचकांक 41
बैंकिंग क्षेत्र 41
फिनटेक सेक्टर 42
डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र 42
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) 43
डिजिटल बैंक इकाइयाँ (डीबीयू) 44
वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFE)- (2020-2025) 44
बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए विकास बैंक 44
वित्तीय समावेशन 45
प्रधानमंत्री जन धन योजना के दस वर्ष 46

7. वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय बाजार 47
कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार 48

8. भारत का बाह्य क्षेत्र

परिचय 50
बाह्य क्षेत्र में रुझान- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 50
विकसित भारत के लिए व्यापार नीति 51
विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा भंडार 52
पूँजी खाता परिवर्तनीयता 53
रुपए में व्यापार निपटान 53
रुपए का अवमूल्यन 53
रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण 54
भारत में एफडीआई 55
जीवन सामग्री से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य 56

9. भारत में कृषि क्षेत्र

भारतीय कृषि: हालिया आँकड़े 57
भारत के लिए कृषि क्षेत्र का महत्त्व 57
फसल प्रतिरूप 58
परिशुद्ध कृषि 60
भारत में फसल बीमा 60
शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) 60
एकीकृत कृषि प्रणाली (UPSC 2022) 61
विपरीत फोर्क-टू-फार्म रणनीति 61

कृषि में नवीनतम प्रगति 62
आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें 63
कृषि सहायता में जैव प्रौद्योगिकी 63
भारत में कृषि ऋण एवं ऋणग्रस्तता 64
सिंचाई प्रणाली 64
कृषि उपज का भंडारण और बफर स्टॉक 66
कृषि उपज का परिवहन 67
कृषि उपज का विपणन 68
कृषि उपज विपणन समितियाँ (APMC) 68
कृषि निर्यात 69
किसान उत्पादक संगठन (FPO) 70
किसानों की सहायता हेतु प्रौद्योगिकी (UPSC 2023) 71
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी (UPSC 2023) 73
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 74
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) 76
खाद्यान्न सुरक्षा 77
पशुपालन का अर्थशास्त्र 78
मत्स्य पालन- नीली क्रांति 80

10. खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग

परिचय 83
भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रमुख चालक 83
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (FPI) का महत्त्व 83
खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र विस्तार 84
आपूर्ति शृंखला प्रबंधन 85
भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मत्स्य उद्योग की भूमिका 87

11. भूमि सुधार

परिचय 89
भूमि सुधार 89
भूमि सुधार की सफलता और उत्तरदायी कारक (UPSC 2024) 89
भूमि सुधार और कृषि उत्पादकता 90
भारत में भूमि अभिलेख - डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण 91
भारत में भूमि सुधार बाधाएँ 92
आगे की राह 93

12. भारत में उद्योग

नई औद्योगिक नीति-1991 94
एलपीजी सुधार के वर्ष : विद्यमान चुनौतियाँ 94
भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण का प्रभाव (UPSC 2013) ... 95
कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर भारत के आर्थिक परिवर्तन के कारण (UPSC 2024) 95
विनिर्माण को समर्थन देने वाली सरकारी नीतियाँ (UPSC 2023) 95
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की क्षमताओं का प्रकटीकरण (UPSC 2023) 97
वस्त्र (टेक्सटाइल) क्षेत्र 98
सेमीकंडक्टर उद्योग 98
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना 100
भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम 101
औद्योगिक क्रांति 4.0 102
भारत एक विनिर्माण केंद्र 103
रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (UPSC 2014) 104
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) 105

13. सेवा क्षेत्र

परिचय 107
क्षेत्रवार प्रदर्शन 107
पर्यटन क्षेत्र 108
आईटी/बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) 109
संचार क्षेत्र 110

14. अवसंरचना विकास: ऊर्जा, सड़क, रेलवे, बंदरगाह और विमानन

ऊर्जा क्षेत्र 111
नवीकरणीय ऊर्जा 113
सड़कें 115
रेलवे 118
बंदरगाह एवं जलमार्ग 120
लॉजिस्टिक सेक्टर 123
विमानन 124

15. निवेश

सार्वजनिक निवेश मॉडल 127
निजी निवेश मॉडल 127
सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) मॉडल 127
अवसंरचना या बुनियादी ढाँचा निवेश 129
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) 130
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (IIPDF) 130
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) 130
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 130

16. रोजगार, बेरोजगारी और कौशल विकास

परिभाषा: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार 132
बेरोजगारी के कारण 132
भारत में बेरोजगारी 132
भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की स्थिति 134
कौशल विकास 134
भारत में रोजगारविहीन संवृद्धि (UPSC 2015) 135
जनसांख्यिकीय लाभांश बनाम रोजगार योग्यता की कमी (UPSC 2014) 136
देखभाल अर्थव्यवस्था 136
गिग वर्कर्स (गिग श्रमिक) 136
श्रम कानून सुधार 137

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

प्रहार

MAINS WALLAH

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - 2025 पर अंतिम 'प्रहार'

भूगोल और आपदा प्रबंधन

(STATIC + CURRENT)

विशेषताएँ

- समग्र एवं संक्षिप्त नोट्स
- पारंपरिक टॉपिक्स का समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुतीकरण
- प्रामाणिक स्रोतों से अद्यतित आँकड़े एवं तथ्य और उदाहरण
- गुणवत्तापूर्ण उत्तर लेखन के लिए महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स
- विगत 12 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ समायोजित

निःशुल्क सृजन बैच एवं मेंटरशिप कॉल के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें

पढ़ें, जिसे पढ़ा टॉपर्स ने AIR-1 द्वारा अनुशंसित

विषय-सूची

1. भू-आकृति विज्ञान

पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास 1
पृथ्वी की गतियाँ 1
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 2
पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3
महासागरों और महाद्वीपों का वितरण 4
मेंटल प्लूम 5
प्लेटों के सीमांत 6
भूकंपीयता और भूकंप 6
ज्वालामुखी 8
भू-आकृतियाँ और उनका विकास 9

2. जलवायु विज्ञान

परिचय 13
जलवायु और मौसम के बीच अंतर 13
पृथ्वी का वायुमंडल 13
ऊष्मा बजट 14
शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) 15
हिमांक-मंडल (क्रायोस्फीयर) और जलवायु परिवर्तन 15
प्रदूषण (पॉल्यूशन) डोम 17
हीट डोम 17
अमेरिका में शीतकालीन तूफान 17
उष्णकटिबंधीय चक्रवात (UPSC 2014) 18
ट्विस्टर्स (UPSC 2024) 18

3. समुद्र विज्ञान

महासागरीय उच्चावच 20
लवणता (UPSC 2017) 20
महासागरीय तापमान 21
वैश्विक महासागरीय ऊष्मा मात्रा (OHC) 22
महासागरीय जल संचलन 22
महासागरीय धाराएँ 22
जलवायु परिवर्तन और महासागरीय परिसंचरण 23
अटलांटिक भूमध्यरेखीय प्रतिवर्ती परिसंचरण (AMOC) 24
प्रवाल भित्तियाँ 24
महासागरीय प्रदूषण (UPSC 2015) 26
समुद्री संसाधन 26
गहरे समुद्र में अन्वेषण की पहल 27

4. भारतीय जलवायु

भारतीय जलवायु की विशेषताएँ 29
शीत ऋतु में मौसम की स्थिति 30
ग्रीष्म ऋतु में मौसम की स्थिति 30
भारतीय मानसून (UPSC 2017) 30
जेट धाराएँ 31
मानसून की प्रकृति एवं महत्त्वपूर्ण पहलू 32
हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) और भारतीय मानसून (INDIAN OCEAN DIPOLE (IOD) AND INDIAN MONSOON) 33
अल-नीनो और भारतीय मानसून 33
ला-नीना और भारतीय मानसून 34
मानसून पर चक्रवात/प्रति चक्रवात का प्रभाव 34
भारतीय जलवायु – ऋतुएँ 35
वर्षा का वितरण 36

5. भारत में जनसंख्या और प्रवासन

भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक 40
उच्च जनसंख्या वृद्धि के निहितार्थ 41
जनसंख्या और निर्धनता (UPSC 2015) 41
भारत: जनसंख्या और उसके घनत्व का असमान वितरण 41
जनसांख्यिकीय लाभांश 42
मानव विकास 43
चीन और भारत: जनसंख्या की विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ 46
प्रवास 46
आंतरिक प्रवास 46
बाह्य प्रवास 48
विगत चार दशकों में भारत के भीतर और बाहर श्रमिक प्रवासन की प्रवृत्ति में परिवर्तन: (UPSC 2015) 50
'जनसांख्यिकीय शीत (डेमोग्राफिक विंटर)': अवधारणा और वैश्विक प्रवृत्ति (UPSC 2024) 51
जनसंख्या शिक्षा (UPSC 2021) 52

6. मानव अधिवास और संबंधित मुद्दे

बस्तियों का वर्गीकरण 53
भारत में नगरीकरण 53
मानव बस्तियाँ और जल प्रदूषण 55
मानव बस्तियाँ और वायु प्रदूषण 56
मानव अधिवास और शहरी बाढ़ 57
भारत के तटीय शहरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 58

7. भारत में भूमि उपयोग प्रतिरूप और इसकी बदलती प्रवृत्ति

भूमि उपयोग प्रतिरूप 60
भूमि उपयोग नियोजन 62
मरुस्थलीकरण 62
भूमि और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन तथा मानवीय विपत्तियों में कमी (UPSC 2018) 64
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पारिस्थितिकी वहन क्षमता पर पर्यटन-प्रेरित तनाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन (UPSC 2015) 64

8. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों की अवस्थिति

प्राथमिक गतिविधियाँ 65
भारत में क्षेत्रवार सकल घरेलू उत्पाद 65
भारत में कृषि क्षेत्र 66
उपजाऊ मृदा और जल की उत्तम उपलब्धता के बावजूद हरित क्रांति की पूर्वी क्षेत्र में लगभग अनुपस्थिति (UPSC 2014) 69
भारत में डेयरी क्षेत्र 69
कृषि आधारित और कृषि प्रसंस्करण उद्योग 70
भारत में खनन क्षेत्र 72
द्वितीयक क्षेत्र 73
वस्त्र उद्योग 74
जूट उद्योग 77
चीनी उद्योग 78
निष्कर्ष 80
तृतीयक क्षेत्र 81
चतुर्थक क्षेत्र/ज्ञान आधारित उद्योग 82
क्विनरी क्षेत्र (पंचम क्षेत्र) 83

9. खनिज और ऊर्जा संसाधन

खनिज संसाधनों के प्रकार 85
भारत में प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण (UPSC 2022, 2019) 86
वैश्विक स्तर पर खनिजों का वितरण 86
खनिजों का उत्पादन 88
वर्तमान पहलू 89
निष्कर्ष 90
ऊर्जा संसाधन 90
गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत 91
ज्वारीय ऊर्जा 92
पवन ऊर्जा 93
हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा 94
परमाणु ऊर्जा (UPSC 2013) 94
हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा 95
शेल गैस (UPSC 2013) 95
पारंपरिक ऊर्जा स्रोत 96
भारत में विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत 97
लिथियम भंडार 98
महत्त्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) 98
जैव ईंधन 99

10. भारत में जल संसाधन और उनका प्रबंधन

जल संसाधन 102
भारत में जल प्रबंधन 104
जल उपयोग दक्षता (UPSC 2016) 105
सूक्ष्म जल संभर विकास एवं प्रबंधन (UPSC 2015) 106
अंतरराष्ट्रीय पहल 107
समसामयिक संदर्भ 108
निष्कर्ष 109
समाचारों में चर्चित मुद्दे 109

11. भारत में परिवहन और संचार

भारत में परिवहन 111
रेलवे परिवहन प्रणाली 112
सड़क परिवहन 114
नागरिक विमानन/नागरिक उड्डयन 115
जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्ग (UPSC 2016) 117
सरकार द्वारा किये गए प्रयास 119
बंदरगाह 119
भारतीय बंदरगाह 120
नदियों को आपस में जोड़ना (UPSC 2020) 121
पाइपलाइन परिवहन का विकास 122

12. भारत में आपदाओं का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

भारत में आपदाएँ 124
आपदा का वर्गीकरण 124
भूकंप (UPSC 2021) 125
चक्रवात 127
सूखा 130
भूस्खलन 131
ग्रीष्म लहर (हीटवेव) 133
वनाग्नि 136
बाढ़ 137
भारत में सतत सिंचाई और अंतर्देशीय नौवहन के लिए बाढ़ का उपयोग (UPSC 2017) 139
शहरी बाढ़ (UPSC 2024, 2020, 2016) 139
हिमनद झीलों के फटने से बाढ़ (GLOF) 141
सुनामी के 20 वर्ष 141

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

प्रहार

MAINS WALLAH

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - 2025 पर अंतिम 'प्रहार'

आधुनिक भारत

(STATIC + CURRENT)

विशेषताएँ

- समग्र एवं संक्षिप्त नोट्स
- पारंपरिक टॉपिक्स का समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुतीकरण
- प्रामाणिक स्रोतों से अद्यतित आँकड़े एवं तथ्य और उदाहरण
- गुणवत्तापूर्ण उत्तर लेखन के लिए महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स
- विगत 12 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ समायोजित

निःशुल्क सृजन बैच एवं मेंटरशिप कॉल के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें

पढ़ें, जिसे पढ़ा टॉपर्स ने AIR-1 द्वारा अनुशंसित

विषय-सूची

1. 18वीं शताब्दी का संक्रमण काल

यूरोपीय लोगों का आगमन 1
भारत में पुर्तगाली शासन 1
भारत में डच शासन 2
भारत में ब्रिटिश शासन 2
फ्रांसीसी 3
डेनिश 3
ब्रिटेन भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति क्यों बन गया? 3
18वीं सदी में भारत की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति 4
18वीं सदी में खंडित राजनीति (UPSC 2017) 5
क्षेत्रीय राज्यों का उदय 6
मराठों का उदय: मराठों के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक 8
भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण 10
1857 से पहले प्रशासन 11

2. किसान, आदिवासी और अन्य आंदोलन

प्रस्तावना 12
नागरिक विद्रोह 12
किसान आंदोलन 13
जनजातीय विद्रोह 15
भारत में सैन्य विद्रोह 18

3. 1857 का विद्रोह

1857 के विद्रोह के मुख्य कारण 20
विद्रोह की शुरुआत और प्रसार 22
1857 के विद्रोह की विफलता के प्रमुख कारण 23
विद्रोह के परिणाम 24
विद्रोह की प्रकृति 25
1857 का विद्रोह: औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ 27
निष्कर्ष 27

4. सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन

परिचय 28
सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों की प्रकृति 28
सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण 28
हिंदू सुधार आंदोलन 30
मुस्लिम सुधार आंदोलन 32
सिख सुधार आंदोलन 32
पारसी सुधार आंदोलन 33
जाति आधारित शोषण के खिलाफ संघर्ष 33
सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों में महिलाओं के मुद्दे 34
महिलाओं की भूमिका 34
सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों की सामान्य विशेषताएँ 35
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव (UPSC 2019) 35
सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों की सीमाएँ 35
निष्कर्ष 36

5. भारत में ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण (1757 से 1947 तक)

प्रशासनिक नीतियाँ 37
भारत में उपनिवेशवाद के चरण 37
ब्रिटिश सर्वोच्चता का विस्तार 38
भारत में ब्रिटिश विदेश नीति 39
प्रेस का विकास 40
भारत में सिविल सेवाओं का विकास 41
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय निकायों का विकास 42
भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति 42
अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ (UPSC 2014) 43
राजस्व नीतियाँ, भारतीय कृषि और ब्रिटिश शासन 45
कृषि का व्यवसायीकरण 46
पारंपरिक कारीगर उद्योग का पतन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अपंगता (UPSC 2017, 2024) 47
भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगीकरण और ग्रामीणीकरण 48
अठारहवीं शताब्दी के मध्य से औपनिवेशिक भारत में अकालों में अचानक वृद्धि (UPSC 2022) 49
संचार एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों का विकास 50
सामाजिक नीतियाँ 50
महात्मा गांधी और रबीन्द्रनाथ टैगोर के मध्य तुलना (UPSC 2023) 53
विभिन्न गवर्नरों और वायसराय द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार 54

6. भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और उत्तरदायी कारक 56
भारत में प्रारंभिक राजनीतिक संगठन और उनकी उपलब्धियाँ 57
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 58
नरमपंथी चरण के दृष्टिकोण और सीमाएँ (1885-1905) 60
निष्कर्ष 61

7. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन : प्रथम चरण (1905-1917)

बंगाल का विभाजन (1905) और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ (1899-1905) 62
स्वदेशी आंदोलन (1905) 63
स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव 64
मुस्लिम लीग (1906) 65
सूरत विभाजन (1907) और इसका प्रभाव 65
उग्रवादी एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय 66
क्रांतिकारियों और उग्रवादियों के मध्य तुलना 67
मॉर्ले-मिंटो सुधार (1909) और प्रतिक्रियाएँ 68
प्रथम विश्व युद्ध (1914-1919): प्रभाव और प्रतिक्रियाएँ 69
प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव 69
होम रूल आंदोलन 70
लखनऊ समझौता (दिसंबर, 1916): महत्त्व और प्रभाव 71
मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) 72
चंद्रशेखर आजाद का योगदान 73

8. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन : द्वितीय चरण (1918-1939)

गांधीवादी युग की शुरुआत 75
गांधीजी की प्रारंभिक जीवन-यात्रा और दक्षिण अफ्रीका में सत्य के प्रयोग 75
भारत आगमन के बाद गांधीजी का प्रारंभिक सत्याग्रह 76
गांधी जी की प्रमुख विचारधाराएँ 77
गांधीजी का भारत आगमन: स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव (UPSC 2014) 78
खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1919-1922) 78
स्वराज पार्टी (1923) 80
साइमन कमीशन (1928) 81
नेहरू रिपोर्ट (1928) 82
जिन्ना की चौदह सूत्री माँग 83
पूर्ण स्वराज की माँग (1929) 83
सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) 83
असहयोग आंदोलन बनाम सविनय अवज्ञा आंदोलन 85
गाँधी-इरविन समझौता या दिल्ली समझौता (मार्च 1931) और इसका महत्त्व 85
कराची अधिवेशन (मार्च, 1931) 86
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका महत्त्व एवं प्रभाव 87
सांप्रदायिक पंचाट (1932) और पूना समझौता (1932) 88
गांधी जी का हरिजन आंदोलन और जाति विषयक विचार 89
भारत सरकार अधिनियम, 1935 90
1937 का चुनाव 91

9. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन : तृतीय चरण (1939-1947) 93

द्वितीय विश्व युद्ध और भारत: प्रभाव 93
अगस्त प्रस्ताव (1940) 93
व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940) और इसका महत्त्व 93
क्रिप्स मिशन (1942): महत्त्व और परिणाम 94
भारत छोड़ो आंदोलन (1942) या अगस्त क्रांति 95
सी. आर. फार्मूला या राजाजी फार्मूला और गांधी-जिन्ना वार्ता (1944) 96
शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना (1945) 97
इंडियन नेशनल आर्मी (INA) या आजाद हिंद फौज और INA मुकदमे: महत्त्व 97
शाही भारतीय नौसेना (RIN) और नौसैनिक विद्रोह (1946) 98
द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद 99
1945 के चुनाव 100
कैबिनेट मिशन (1946): महत्त्व और परिणाम 100
माउंटबेटन योजना (1947) या 3 जून योजना और विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाएँ 102
1940 के दशक में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति की भूमिका (UPSC 2019) 102
निष्कर्ष 103

10. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न वर्गों की भूमिका 104

राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका 104
भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाएँ 106
स्वतंत्रता संग्राम में पूँजीपति वर्ग की भूमिका 108
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उद्योगपतियों का योगदान 109
स्वतंत्रता संग्राम में श्रमिक और साम्यवादी वर्ग की भूमिका 109
स्वतंत्रता संग्राम में रियासतों की भूमिका 110
राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न वैचारिक पहलू और सामाजिक आधार का विस्तार (UPSC 2020) 110
स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशियों की भागीदारी 111

11. राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व और उनका योगदान 113

बाल गंगाधर तिलक-द लॉयन ऑफ महाराष्ट्र 113
सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा-भारत के लौह पुरुष 114
जवाहरलाल नेहरू का योगदान-आधुनिक भारत के निर्माता 114
नेता जी सुभाषचंद्र बोस का योगदान 114
विचारधाराओं की तुलना: जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस 114
विचारधाराओं की तुलना: जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी 115
विचारधाराओं की तुलना : सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी (UPSC 2016) 116
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉ. बी.आर. अंबेडकर का योगदान 116
विनायक दामोदर सावरकर 117
गोपाल कृष्ण गोखले और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान 117
सरोजिनी नायडू और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान 117
अन्य व्यक्तित्वों के बारे में संक्षिप्त विवरण 118

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

प्रहार

MAINS WALLAH

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - 2025 पर अंतिम 'प्रहार'

विश्व इतिहास

(STATIC + CURRENT)

विशेषताएँ

- समग्र एवं संक्षिप्त नोट्स
- पारंपरिक टॉपिक्स का समसामयिक घटनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुतीकरण
- प्रामाणिक स्रोतों से अद्यतित आँकड़े एवं तथ्य और उदाहरण
- गुणवत्तापूर्ण उत्तर लेखन के लिए महत्त्वपूर्ण की-वर्ड्स
- विगत 12 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ समायोजित

निःशुल्क सृजन बैच एवं मेंटरशिप कॉल के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें

पढ़ें, जिसे पढ़ा टॉपर्स ने AIR-1 द्वारा अनुशंसित

विषयसूची

1. महत्त्वपूर्ण अवधारणाएँ

सामंतवाद 1
समाजवाद 2
साम्यवाद 3
वणिकवाद 5
साम्राज्यवाद 6

2. आधुनिक युग-पुनर्जागरण और सुधारवाद

पुनर्जागरण और आधुनिक युग (14वीं-17वीं शताब्दी) 8
सुधारवाद 9
निष्कर्ष 10

3. सप्तवर्षीय युद्ध (1756-1763)

युद्ध के कारण 11

4. अमेरिकी क्रांति (1765-1783)

अमेरिकी क्रांति के कारण 13
क्रांति के परिणाम (UPSC 2019) 13

5. अमेरिकी गृह युद्ध (1861-1865)

प्रमुख कारण 15
गृहयुद्ध के प्रमुख चरण 15
गृह युद्ध के प्रभाव 16

6. फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का उदय (1789-1799)

फ्रांसीसी क्रांति के कारण 17
फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएँ और चरण 17
फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम (UPSC 2019) 18
नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 19

7. राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद की उत्पत्ति 20
निष्कर्ष 21

8. जर्मनी और इटली का एकीकरण

जर्मनी का एकीकरण 22
इटली का एकीकरण (1815-1871) 23
जर्मनी का एकीकरण बनाम इटली का एकीकरण 24
निष्कर्ष 24

9. औद्योगिक क्रांति

औद्योगिक क्रांति के कारण 25
औद्योगिक क्रांति की विशेषताएँ 25
औद्योगिक क्रांति के प्रभाव 25
जापान में औद्योगिक क्रांति 26
मेइजी पुनर्स्थापन 27
औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुई? (UPSC 2015) 27
वर्तमान समय में ब्रिटेन और भारत की औद्योगिक क्रांति का तुलनात्मक अध्ययन 28
विभिन्न देशों में रेलवे की शुरूआत के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (UPSC 2023) 28
निष्कर्ष 29

10. उपनिवेशवाद

उपनिवेशवाद के प्रेरक 30
उपनिवेशवाद को सहायता देने वाले विस्तारित तकनीकी नवाचार 30
उपनिवेशवाद के प्रभाव 31
अफ्रीका में उपनिवेशवाद 31
प्रशांत, मध्य एशिया और चीन में उपनिवेशवाद 33
प्रशांत महासागर में उपनिवेशवाद 33
मध्य एशिया में उपनिवेशवाद 34
चीन में उपनिवेशवाद 34
दुनिया भर में विउपनिवेशीकरण प्रक्रियाएँ (UPSC 2016) 34
निष्कर्ष 35

11. प्रथम विश्व युद्ध-कारण, परिणाम और भारत की प्रतिक्रिया

प्रथम विश्व युद्ध के कारण 36
युद्ध के परिणाम 37
वर्साय की संधि 37
प्रथम विश्व युद्ध का वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलनों पर प्रभाव 38
राष्ट्रों का संघटन 38
प्रथम विश्व युद्ध में भारत की भूमिका 39
प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच संबंध 40
निष्कर्ष 40

12. रूसी और चीनी क्रांति

रूसी क्रांति 41
चीनी क्रांति 42
निष्कर्ष 43

13. अंतर-युद्ध काल का इतिहास

अंतर-युद्ध काल (1918-1939): लोकतंत्र का पतन और अधिनायकवाद का उदय 44
फासीवाद 45
नाज़ीवाद 46
महामंदी (1929) 47
न्यू डील 47
निष्कर्ष 48

14. द्वितीय विश्व युद्ध-कारण, परिणाम और भारत की प्रतिक्रिया

कारण (UPSC 2015) 49
प्रमुख परिणाम 49

द्वितीय विश्व युद्ध में भारत 49
समकालीन उपनिवेशों पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव 49
निष्कर्ष 50

15. विश्व युद्ध सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र का गठन

महत्त्वपूर्ण विश्व युद्ध सम्मेलन 51
संयुक्त राष्ट्र (UN): उत्पत्ति, संरचना और योगदान 51
निष्कर्ष 53

16. नव-उपनिवेशवाद

नव-उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताएँ और रणनीतियाँ 54
विरासत का मूल्यांकन: शीत युद्ध से वर्तमान तक 54

17. युद्धोत्तर यूरोप और यूरोपीय संघ

प्रमुख घटनाओं की समयावधि 55
युद्धोत्तर यूरोप 55
यूरोपीय संघ 55
यूरोपीय संघ के गठन के प्रभाव और परिणाम 56
निष्कर्ष 56

18. विविध

एशियाई देशों की स्वतंत्रता 57
कोरियाई युद्ध 57
वियतनाम का विभाजन 58
पश्चिम एशियाई स्वतंत्रता आंदोलन 59
विश्व इतिहास की अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 59
संघर्ष की जड़ें 59
हालिया संघर्ष की घटनाएँ 61
निष्कर्ष 61
स्वेज संकट (UPSC 2014) 62
निष्कर्ष 62

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH

SRIJAN MAINS BATCH 2025

(English / हिन्दी)

Based on Read Understand Learn Evaluate Support

- **Mains Study Material** (Prahaar, PYQs & QnA Bank)
- **G.S. Coverage through** 100 themes & 300 Questions
- **Daily Answer Writing** + Test Series
- **Personalized** Evaluation
- **Mentorship** Support
- **Optional Test** & Mentorship

& Some Additional Features | At Just ~~₹9,999/-~~ ₹4,999/-

SRIJAN (PRELIMS + MAINS) BATCH 2026

(English / हिन्दी)

- **Daily Prelims & Mains** Practice with Evaluation
- **Modular courses of** G.S. 1,2,3,4 and Essay
- **Personalized** Mentorship
- **Prelims & Mains** E-Books

& Other Features | At Just ~~₹19,999/-~~ ₹9,999/-

AIR 02
HARSHITA GOYAL

AIR 08
RAJ KRISHNA JHA

AIR 14
ABHISHEK VASHISHTHA

190 TOPPERS IN UPSC CSE 2024 FROM SRIJAN MAINS PROGRAM

7948221232 | pw.live

Karol Bagh, Mukherjee Nagar, Prayagraj, Lucknow, Patna, Indore & Jaipur

₹239/-
ISBN 978-93-7153-473-4
d62cec93-8667-49c4-9d2e-e087d93f39ea